उत्तर प्रदेश शासन
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
संख्या-24/2015/467/78-2-2015-40आई.टी./2005
लखनऊः दिनांकः 13 अप्रैल, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) सपठित धारा 2 के खण्ड(ड) एवं मुख्य सचिव, प्रशासनिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2/2015/445/43-2-2014-15/2(2)/14टी0सी0 दिनांक 18 मार्च, 2015 के अन्तर्गत आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के सभी अनुभाग अधिकारियों को सम्बन्धित अनुभागों का पदेंन राज्य जन सूचना अधिकारी तथा सभी प्रभारी अधिकारियों (अनु सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव) को धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय नामित किया जाता है। ऐसे अनुभाग जहाँ अनुभाग अधिकारी का पद रिक्त है, वहां सूचना का अधिकार से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण रिक्त अनुभाग के प्रभारी अधिकारी अनु सचिव, उप सचिव या संयुक्त सचिव जैसी भी स्थिति हो, द्वारा कराया जायेगा।

2- सूचना का अधिकार के अन्तर्गत राज्य जनसूचना अधिकारी के रूप में अनुभाग अधिकारी द्वारा आवेदकों को सूचना का उत्तर देने या किसी अन्य विभाग या अनुभाग को प्रार्थना पत्र का अन्तरण अशासकीय पत्र के माध्यम से किया जायेगा।

3- सूचना का अधिकार से सम्बन्धित कार्य हेतु अनुभाग अधिकारियों को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा और यह कार्य दैनिक कार्य के अन्तर्गत होगा।

4- प्रत्येक अनुभागों के प्रभारी अधिकारी, जनसूचना से सम्बन्धित प्रकरणों के समन्वय अधिकारी होगें एवं प्रत्येक माह उनके द्वारा समीक्षा कर जनसूचना से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति अपने उच्च अधिकारियों को और आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 को प्रस्तुत की जायेगी।

5- इस आदेश के जारी होने की दिनांक को आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के सम्बन्धित अनुभागों के जनसूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों का विवरण निम्नवत् हैः-

क्र0सं0	अनुभाग का नाम	जनसूचना अधिकारी का नाम एवं फोन नं0	अपीलीय अधिकारी का नाम एवं फोन नं0
1-	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1	श्री अशोक कुमार, अनुभाग अधिकारी, 05222215146(कार्यालय) 9454413937(सी0यू0जी0)	श्री हरीराम, अनु सचिव, 05222215172(कार्यालय) 9454414126(सी0यू0जी0)
2-	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2	श्री राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी, 0522215146(कार्यालय) 9454413744(सी0यू0जी0)	श्री महेन्द्र प्रसाद भारती, अनु सचिव, 05222215104(कार्यालय) 9454412693(सी0यू0जी0)

(जी0एस0 प्रियदर्शी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-24/2015/467(1)/78-2-2015, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0 इन्दिरा भवन, लखनऊ।

2- निजी सचिव, प्रमुख/विशेष सचिव (पी/एन), आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- संयुक्त सचिव/अनु सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु-1/2, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।